श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–20.02.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठ्क की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विनोद कुमार सिंह, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
3. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. श्री महेश कुमार दास, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर।
6. मो0 सलीम अख्तर, अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर।
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज/खड़गपुर।
8. अंचल अधिकारी, बरियारपुर/तारापुर।
9. डिपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर।
10. सहायक गोदाम प्रबन्धक, मुंगेर/जमालपुर/खड़गपुर/तारापुर।
11. प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/जमालपुर।
12. आपूर्त्ति निरीक्षक, संग्रामपुर/टेटियाबम्बर।

(1) <u>अधिप्राप्ति</u> :–

बैठक के प्रारंभिक काल में खरीफ अधिप्राप्ति 2012–13 के हो रहे धान क्रय के निमित्त जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अनुश्रवण में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में क्रय किये गये धान को खुले स्थान (Open Area) में नहीं रखा जाये। इसी क्रम में खड़गपुर गोदाम अन्तर्गत खुले में रखे धान को जमालपुर गोदाम में स्थानांतरित करने निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जब तक बेस गोदाम में रखे धान की मीलींग नहीं हो जाती हैं तब तक पैक्सों द्वारा क्रय धान को पैक्स में ही सुरक्षित रखा जाये।

(2) <u>खाद्यान्न का उठाव/वितरण</u> :–

खाद्यान्न उठाव/वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम गोदाम से अन्त्योदय योजनान्तर्गत 5082 क्विंटल गेहूँ का उठाव कर लिया गया हैं तथा बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के 2500MT चावल के विरूद्ध 1500MT चावल का उठाव कर लिया गया हैं। तदोपरान्त जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि शेष चावल का उठाव निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जाये।

डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि CMR लेने पर रोक लगा दी गई हैं। अतएव निदेश दिया गया कि अब प्रत्येक दिन खाद्यान्न निर्गत करना सुनिश्चित किया जाये।

विगत नवम्बर, 2012 से गेहूँ की अनुपलब्धता नगण्य होने के कारण माह जनवरी, 2013 में अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को केवल चावल की आपूर्त्ति की गई हैं। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 844, दिनांक 10.10.2012, पत्रांक 924, दिनांक 03.11.2012, पत्रांक 1045, दिनांक 13.12.2012, पत्रांक 1100, दिनांक 28.12.2012, पत्रांक 91, दिनांक 02.02.2013, पत्रांक 108, दिनांक 11.02.2013 एवं विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम् से भी गेहूँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं, परन्तु माह फरवरी, 2013 में मात्र 508MT गेहूँ ही प्राप्त हुआ। गेहूँ की उपलब्धता नगण्य होने के कारण फरवरी, 2013 में केवल अन्त्योदय उपभोक्ताओं को गेहूँ की आपूर्त्ति की जा रही हैं।

जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में खराब चावल का उठाव नहीं किया जाना हैं तथा उठाव प्रभारी की यह जिम्मेवारी होगी कि यदि डिपो प्रभारी द्वारा खराब चावल/गेहूँ देने का प्रयास किया जाता है तो तत्क्षण जिला प्रबन्धक को अवगत करायें ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

(3) SMS Intimation System :-

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के अतिरिक्त SMS प्राप्तकर्त्ता उपभोक्ताओं का नाम वेबसाईट पर शुद्ध रूप से प्रविष्ट कराना आवश्यक हैं जिसमें सभी वर्गो के उपभोक्ताओं के नाम शामिल किये जाये ताकि अधिक-से-अधिक उपभोक्ताओं को SMS भेजा जा सके। उक्त कार्य को शीघ्रतिशीघ्र वेबसाईट पर अपलोड हेतु आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर से सम्पर्क किया जाये। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अपने अनुश्रवण में ससमय सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न/किरासन तेल का उठाव सुनिश्चित कर ले तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक वेबसाईट पर प्रविष्टि पूर्ण कर ली जाए ताकि उपभोक्ताओं को यथासमय SMS प्रेषित हो सके।

(4) खाद्यान्न दिवस का आयोजन :-

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 25.02.2013 तक सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न का उठाव कर सुरक्षित रखने हेतु निदेशित करेंगे ताकि खाद्यान्न दिवस का पंचायतवार रोस्टर तैयार कर दिनांक 26.02.2013 से 28.02.2013 तक उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा सके। खाद्यान्न दिवस में खाद्यान्न वितरण के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी सुविधानुसार. तीन या अधिकतम चार पंचायतों को टैग कर अपने स्तर से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेगें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में ही जनवितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न का वितरण करेंगे।